न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 13/2022 **दायर दिनांकः 23/03/2022**

उनवान

1. किरण उम्र 55 वर्ष पुत्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती

उपस्थिति :–
प्रार्थीः–विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

निर्णय दिनाकः 14/05/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं खाते कि आराजी ग्राम एवं माल सरसोदिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू में खाता संख्या 85 का किता 1 का ख0नं0 74 का रकबा 0.40 है0 में हिस्सा 1/5 में प्रार्थीया का नाम धापूबाई पुत्री प्रताप दर्ज हो रहा है व खाता संख्या 86 का किता 6 का रकबा 3.35 है0 में प्रार्थीया का नाम धापूबाई पुत्री प्रताप दर्ज हो रहा है क्योंकि गावं में प्रार्थीया को बचपन में इन नामों से ही गांव के लोग पुकारा करते थे इस कारण राजस्व रिकार्ड में यही नाम दर्ज हो गये। प्रार्थी का नाम परिवार के राशनकार्ड एवं आधार कार्ड फोटोपहचान पत्र में किरण पुत्री प्रताप जाति गुर्जर दर्ज है प्रार्थीया

ने राशन कार्ड एवं आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र कि फोटो कापी सरपंच साहब ग्राम पंचायत केरवालिया का प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम किरण ही है इसलिए प्रार्थीया अपने राजस्व रिकार्ड में हुये गलत नाम धापूबाई को दुरूस्त करा कर सही नाम किरण पुत्री प्रताप जाति गुर्जर दर्ज कराना चाहती है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को बैंक व सहकारी संस्था से लोन लेने एवं अन्य सरकारी सहायता प्राप्त में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा एवं सरकारी सहायताओं से वंचित होना पड रहा है जिससे प्रार्थीया को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी तहसीलदार साहब अटरू को आदेश प्रदान किया जावे कि प्रार्थीया का नाम ग्राम व माल केरवालिया तहसील अटरू के खाता संख्या 85 व 86 के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर किरण पुत्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी केरवालि तहसील अटरू दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये गये । pw 1 किरण पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी सरसोदिया का शपथ पत्र पेश किया गया साक्ष्यवादी किरण ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल सरसोदिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू में खाता संख्या 85 का किता 1 का ख0नं0 74 का रकबा 0.40 है0 में हिस्सा 1/5 में प्रार्थीया का नाम धापूबाई पुत्री प्रताप दर्ज हो रहा है व खाता संख्या 86 का किता 6 का रकबा 3.35 है0 में प्रार्थीया का नाम धापूबाई पुत्री प्रताप दर्ज हो रहा है क्योंकि गावं में प्रार्थीया को बचपन में इन नामों से ही गांव के लोग पुकारा करते थे इस कारण राजस्व रिकार्ड में यही नाम दर्ज हो गये। मेरा नाम परिवार के राशन कार्ड एवं आधार कार्ड व फोटो पहचान पत्र इन्यादि दस्तावेजों में किरण पुत्री प्रताप जाति

गुर्जर दर्ज है। जो कि मेरा वास्तविक नाम हैं। जिसे दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी हूँ।

pw 2 हेमराज पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी सरसोदिया के सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। हेमराज ने अपने गवाह बयानों में बताया कि ग्राम सरसोदिया के खाता संख्या 86 का किता 6 का रकबा 3.35 है0 आराजी में धापूबाई पुत्री प्रताप जाति गुर्जर हिस्सा 1/5 में खाता दर्ज है तथा उक्त खातेदार मेरी बहिन है तथा धापूबाई उर्फ किरण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। धापूबाई को ही किरण के नाम से जाना जाता है, इसमें मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। यदि उक्त आराजी में धापूबाई उर्फ किरण पुत्री प्रताप हि0 1/5 शुद्ध किया जाता है तो हम सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

pw 3 मांगीलाल पुत्र प्रताप जाति गुर्जर ग्राम सरसोदिया के सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी मांगीलाल ने अपने गवाह बयानों में बताया कि ग्राम सरसोदिया के खाता संख्या 86 का किता 6 का रकबा 3.35 है0 आराजी में धापूबाई पुत्री प्रताप जाति गुर्जर हिस्सा 1/5 में खाता दर्ज है तथा उक्त खातेदार मेरी बहिन है तथा धापूबाई उर्फ किरण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। धापूबाई को ही किरण के नाम से जाना जाता है, इसमें मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। यदि उक्त आराजी में धापूबाई उर्फ किरण पुत्री प्रताप हि0 1/5 शुद्ध किया जाता है तो हम सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया का नाम ग्राम व माल केरवालिया तहसील अटरू के खाता संख्या 85 व 86 के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर किरण पुत्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी केरवालिा तहसील अटरू दर्ज किया जावे।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सरसोदिया की जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 86 ख0नं0 347, 349, 53, 54, 57/451, 77 किता 6 रकबा 3.35 है0 आराजी में धापूबाई पुत्री प्रताप शामलाती खाते में हिस्सा 1/5 दर्ज खाता स्थित है। खाता संख्या 85 के ख0नं0 74 की रकबा 0.40 है0 आराजी में धापूबाई पुत्री प्रताप शामलाती खाते में हिस्सा 1/5 दर्ज खाता स्थित है। अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में किरण बाई पत्नि सूरज प्रकाश दर्ज है, जनआधार में किरण बाई दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र में किरण पत्नि सूरजप्रकाश दर्ज है। परिवार राशर कार्ड में किरण बाई दर्ज है। ग्राम पंचायत केरवालिया के प्रमाण पत्र दिनांक 09.03.2022 के अनुसार धापू बाई व किरण दोनों नाम एक ही महिला के है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सरसोदिया तहसील अटरू में खाता संख्या 85 का ख0नं0 74 का रकबा 0.40 है0 तथा खाता संख्या 86 ख0नं0 347, 349, 53, 54, 57/451, 77 किता 6 रकबा 3.35 है0 आराजी में सहखातेदार धापूबाई पुत्री प्रताप के स्थान पर किरण बाई उर्फ धापूबाई पुत्री प्रताप दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां